कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- २७२ /१२-। दिनांक, पौड़ी, जुलाई 🚜 ,2020.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय-

जनपद पौड़ी गढ़वाल में होमगार्ड स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण हेतु परेड ग्राउण्ड के निर्माण हेतु 0.

812 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु होमगार्ड्स को हस्तान्तरण।

Proposal No- FP/UK/Others/37468/2018

सन्दर्भ— महोदय, प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी का पत्रांक 238/12-1 दिनांक 27.07.2020

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में लगाई गई आपन्ति का निराकरण निम्न प्रकार कर दिया गया है—

गया है कि प्रस्ताव में लगाई गई आपित्ति का निराकरण निम्न प्रकार कर दिया गया है—	
प्रश्न	उत्तरालेख
1. सामान्य रूप से non-site specific गतिविधि के लिये अनुमित दिया जाना संभव नही है। state Government may examine the proposal in the light of Para 1.15 of guidelines regarding non site specific activity and submit all the required documents including proper justification for proposing area in forest land, DM certificate for non-availability of non forest land, etc.	बिन्दु सं0—1 की आपित्त का निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा पार्ट—। के Additional information detail के कमांक—89 में ऑन लाईन अपलोड कर आपित्त का निराकरण कर दिया गया है।
2. The administrative approval submitted with the proposal is for residential/ non residential purpose. The state Government may submit the correct administrative approval for construction of ground for training.	बिन्दु सं0–2 की आपित्त का निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा पार्ट–। के Additional information detail के कमांक–80 में ऑन लाईन अपलोड कर आपित्त का निराकरण कर दिया गया है।
3. State Government may fill all the details in component wise breakup at Para B 2.4, Part I online.	बिन्दु सं0–3 की आपित्त का निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा पार्ट–। के Para 2.4 में ऑन लाईन अपलोड कर आपित्त का निराकरण कर दिया गया है।
4. State Government may submit the lay out plan of the proposal.	बिन्दु सं0—4 की आपित्त का निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा पार्ट—। के Additional information detail के कमांक—81 में ऑन लाईन अपलोड कर आपित्त का निराकरण कर दिया गया है।
5. State Government may submit original copy of land schedule duty countersigned by DFO after authenticating the corrections made in it.	बिन्दु सं0—5 की आपित्त का निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा पार्ट—। के Additional information detail के कमांक—82 में ऑन लाईन अपलोड कर आपित्त का निराकरण कर दिया गया है।
6. Muck disposal plan, plantation scheme and geologist report are not found uploaded. State government may upload the disposal plan, plantation scheme geologist report as additional document in part I.	बिन्दु सं0—6 के कम में प्रस्ताव विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना के निर्माण में उत्सर्जित होने वाले मलबे को भरान के रूप में ही उपयोग कर लिया जायेगा। जिसके कारण Muck disposal plan की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, तथा Geologist report Additional informatin detail के कमांक—83 में ऑन लाईन अपलोड कर आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है।

7. Bar chart, tree enumeration list, FRA certificate and work not start certificate not submitted in original. State Government may submit the original copy of bar chart, tree enumeration list, FRA certificate and work not start certificate to this office.

बिन्दु सं0-7 प्रस्तावक विभाग ने अपने पत्रांक डीटीसी/भूमि/पत्रा./होगा/2020/70, दिनॉक 09-07-2020 के अनुसार नोडल अधिकारी, देहरादून के कार्यालय में जमा करा दिया गया है।

8. It is seen that justification of the proposal is not submitted in hard copy. State Government may submit the original copy of justification to this office.

बिन्दु सं0-8 प्रस्तावक विभाग ने अपने पत्रांक डीटीसी/भूमि/पत्रा./होगा/2020/70, दिनॉक 09-07-2020 के अनुसार नोडल अधिकारी, देहरादून के कार्यालय में जमा करा दिया गया है।

9. It is seen that no comments have been made by DFO against para 6, Part II. State Government may ensure that the comments of DFO have been made against "Brief not on vulnerability of the forest area to erosion" in Part II online.

DFO द्वारा संक्षिप्त टिप्पणीं

बिन्दु सं0—9 के कम में अवगत कराना है कि प्रस्तावित स्थल श्रीनगर शहर में अलकनन्दा नदी के बहाव के निकट स्थित है। इस स्थल से सटे अन्य प्रयोजनों के मैदान आदि विद्यमान हैं। प्रस्तावित स्थल नदी की मुख्य धारा से लगभग 100 मीटर की दूरी से स्थित है, चिन्हित क्षेत्र की सतह समुचित रूप से ठोस (Compact) है। नदी का बहाव इस स्थल से बचते हुए दक्षिण की ओर मुड़ता है और चिन्हित स्थल उसके सीधे बहाव से बचता है। चिन्हित स्थल के निकट कोई erosion स्थल भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। प्रस्तावित क्षेत्र विस्तृत रूप से लगभग समतल है तथा इस पर कुछ वृक्ष भी हैं, जिन्हें मूल प्रस्ताव में वर्णित किया गया है।

अतः विषयगत क्षेत्र के सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी का मत है कि यह क्षेत्र Erosion से प्रभावित नहीं है। प्रस्तावक विभाग द्वारा कार्य की अनुमति होने पर इसकी घेरबाड़ आदि भी की जानी है। जिससे यह क्षेत्र और सुरक्षित भी होगा।

10. District profile details filled at para 14, Part II seems incorrect. State Government may provide the correct information in district profile at para 14, Part II.

बिन्दु सं0—10 के कम में अवगत कराना है कि इस वन प्रभाग द्वारा District Profile पुनः पार्ट—।। के Additional Information details के कमांक—8 में ऑन लाईन अपलोड कर दी गई है।

11. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार प्रस्तावित भूमि पर क्या—क्या निर्माण कार्य किया जायेगा, इसका विवरण एवं प्लॉन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

बिन्दु सं0—11 के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना का निर्माण होमगार्डस अकादमी श्रीनगर हेतु किया जाना है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित भूमि पर अन्य कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना है।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(एन०एन०पाण्डेय)

गढ़वाल वृत्त, जुत्तराखण्ड,पौड़ी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in,

Fax no:-01368-222215

पत्रॉक:- 238 //2- / : दिनॉक: पौड़ी, माह, जुलाई, 27 2020

सेवा में.

वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

प्रस्ताव सं0- FP/UK/ Others/37468/2018

जनपद पौड़ी गढ़वाल में होमगार्ड स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण हेतु परेड ग्राउण्ड के विषय-निर्माण हेतु 0.812 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु होमगार्ड्स को हस्तान्तरण।

महोदय, उपरोक्त विषयक कम में अवगत करना है कि प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का प्रस्तावक प्रभाग तथा इस वन प्रभाग द्वारा ऑन लाईन निराकरण निम्न प्रकार कर दिया गया है:-

प्रश्न	उत्तरालेख
1. सामान्य रूप से non-site specific गतिविधि के लिये अनुमित दिया जाना संभव नहीं है। state Government may examine the proposal in the light of Para 1.15 of guidelines regarding non site specific activity and submit all the required documents including proper justification for proposing area in forest land, DM certificate for non-availability of non forest land, etc.	बिन्दु सं0-1 की आपत्ति का निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा पार्ट-। के Additional information detail के कमांक-89 में ऑन लाईन अपलोड कर आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है।
2. The administrative approval submitted with the proposal is for residential/ non residential purpose. The state Government may submit the correct administrative approval for construction of ground for training.	बिन्दु सं0-2 की आपित्त का निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा पार्ट-। के Additional information detail के कमांक-80 में ऑन लाईन अपलोड कर आपित्त का निराकरण कर दिया गया है।
3. State Government may fill all the details in component wise breakup at Para B 2.4, Part I online.	बिन्दु सं0-3 की आपित्त का निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा पार्ट-। वे Para 2.4 में ऑन लाईन अपलोड कर आपित्त का निराकरण कर दिय गया है।
4. State Government may submit the lay out plan of the proposal.	बिन्दु सं0-4 की आपित्त का निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा पार्ट-। वे Additional information detail के कमांक-81 में ऑन लाईन अपलोड कर आपित्त का निराकरण कर दिया गया है।
5. State Government may submit original copy of land schedule duty countersigned by DFO after authenticating the corrections made in it.	Additional information detail के कमाक-82 में आने लाइर अपलोड कर आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है।
6. Muck disposal plan, plantation scheme and geologist report are not found uploaded. State government may upload the disposal plan, plantation scheme geologist report as additional document in part I.	उपयोग कर लिया जायेगा। जिसके कारण Muck disposal plan के आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, तथा Geologist repor

7. Bar chart, tree enumeration list, FRA certificate and work not start certificate not submitted in original. State Government may submit the original copy of bar chart, tree enumeration list, FRA certificate and work not start certificate to this office.

बिन्दु सं0-7 प्रस्तावक विभाग ने अपने पत्रांक डीटीसी/भूमि/पत्रा. /होगा/2020/70, दिनॉक 09-07-2020 के अनुसार नोडल अधिकारी, देहरादून के कार्यालय में जमा करा दिया गया है।

8. It is seen that justification of the proposal is not submitted in hard copy. State Government may submit the original copy of justification to this office.

बिन्दु सं0—8 प्रस्तावक विभाग ने अपने पत्रांक डीटीसी/भूमि/पत्रा. /होगा/2020/70, दिनॉक 09—07—2020 के अनुसार नोडल अधिकारी, देहरादून के कार्यालय में जमा करा दिया गया है।

9. It is seen that no comments have been made by DFO against para 6, Part II. State Government may ensure that the comments of DFO have been made against "Brief not on vulnerability of the forest area to erosion" in Part II online.

DFO द्वारा संक्षिप्त टिप्पणीं

बिन्दु सं0—9 के कम में अवगत कराना है कि प्रस्तावित स्थल श्रीनगर शहर में अलकनन्दा नदी के बहाव के निकट स्थित है। इस स्थल से सटे अन्य प्रयोजनों के मैदान आदि विद्यमान हैं। प्रस्तावित स्थल नदी की मुख्य धारा से लगभग 100 मीटर की दूरी से स्थित है, चिन्हित क्षेत्र की सतह समुचित रूप से ठोस (Compact) है। नदी का बहाव इस स्थल से बचते हुए दक्षिण की ओर मुड़ता है और चिन्हित स्थल उसके सीधे बहाव से बचता है। चिन्हित स्थल के निकट कोई erosion स्थल भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। प्रस्तावित क्षेत्र विस्तृत रूप से लगभग समतल है तथा इस पर कुछ वृक्ष भी हैं, जिन्हें मूल प्रस्ताव में वर्णित किया गया है।

अतः विषयगत क्षेत्र के सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी का मत है कि यह क्षेत्र Erosion से प्रभावित नहीं है। प्रस्तावक विभाग द्वारा कार्य की अनुमति होने पर इसकी घेरबाड़ आदि भी की जानी है। जिससे यह क्षेत्र और

सुरक्षित भी होगा।

10. District profile details filled at para 14, Part II seems incorrect. State Government may provide the correct information in district profile at para 14, Part II.

बिन्दु सं0—10 के कम में अवगत कराना है कि इस वन प्रभाग द्वारा District Profile पुनः पार्ट—।। के Additional Information details के कमांक—8 में ऑन लाईन अपलोड कर दी गई है।

11. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार प्रस्तावित भूमि पर क्या—क्या निर्माण कार्य किया जायेगा, इसका विवरण एवं प्लॉन भी इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

बिन्दु सं0—11 के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना का निर्माण होमगार्डस अकादमी श्रीनगर हेतु किया जाना है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित भूमि पर अन्य कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि प्रस्ताव को अपने स्तर से ऑन लाईन कर उच्च स्तर को प्रेषित करने

का कष्ट करें।

भवदीय,

(आकॉश कुमार वर्मा) प्रभागीय वनाधिकारी, गुढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।